न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 928/2024

अनवान : –

1. राममूर्ती पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. महेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. चन्द्रकला पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर(फोत)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.9840 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 104/113 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6440 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीगण की बुआ है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा लेना चाहता है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है बाद हक त्याग रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.9840 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 104/113 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6440 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि पर वादीगण ब० हि० ब० काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे लेकिन प्रतिवादी आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.9840 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 104/113 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6440 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की बुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 भी उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा लेना चाहता है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुका है बाद हक त्याग रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.9840 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 104/113 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6440 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि पर वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा रामजीलाल के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.9840 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 104/113 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6440 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 928/2024

अनवान : –

1. राममूर्ती पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. महेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. चन्द्रकला पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर(फोत)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 928 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 3.9840 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 104/113 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6440 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested